

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

141

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1195/पीबीआर/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 09.03.2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 128/अपील/2013-14.

कैलाश पिता बाबुलाल महाजन
निवासी सिद्धनाथ मंदिर रोड, खरगौन
तहसील व जिला खरगौन

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन तर्फे
अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरगौन
तहसील व जिला खरगौन

.....अनावेदक

श्री हेमंत मूंगी, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 29/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 09.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का नंबर 43 तहसील खरगौन द्वारा तहसीलदार, तहसील खरगौन के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष एक प्रतिवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आवेदक भूमिस्वामी कैलाश पिता बाबुलाल महाजन द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम खरगौन तहसील खरगौन स्थित सर्वे नंबर 10C/1/5 रकबा 0.221 हैक्टेयर पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के रोड़ निर्माण कर छोटे-छोटे भूखण्ड विक्रय कर अवैध कॉलोनी निर्माण करने का कृत्य किया जा रहा है। अतः प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही की जाये। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरगौन द्वारा प्रकरण क्र.





73/अ-2/12-13 दर्ज कर आवेदक को संहिता की धारा 172(4) के उल्लंघन का दोषी पाते हुए संहिता की धारा 172(4) के प्रावधानों का आवेदक द्वारा उल्लंघन किया जाने से प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र. शासन, भोपाल के जाप क्रमांक ए-6/प्र.रा.आ./1251, दिनांक 13 अप्रैल 2012 की कण्डिका 2 में दर्शित प्रावधानों अनुसार दिनांक 21.06.2013 को आदेश पारित कर अर्थदण्ड रुपये 10,60,800/- आरोपित किये गये तथा म.प्र. नगर पालिका विधि संहिता की धारा 339-ग(2) के अनुसार आवेदक के विरुद्ध बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के अवैध कॉलोनी निर्माण करने के कारण मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, खरगौन को आवेदक के विरुद्ध पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने के निर्देश दिये गये। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला खरगौन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.12.2013 से निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 09.03.2015 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण का निराकरण उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में उठाये गये बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

- (1) The applicant abovenamed most humbly and respectfully submits that the learned additional commissioner has failed to understand the controversy and arguments raised by the applicant as the applicant has vary categorilly raised the issue that the Trial Court who has conducted the trial has not despite repeated request has fixed the case for recording of statement and cross-examination of the patwari and witnesses of panchnama nor of appelland and has fixed the matter for hearing in violation of the procedure prescribed under the provision of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959.
- (2) The learned presiding officers of courts below committed a grave error of law and fact both in imposing penalty under section 172(4) of Madhya Pradesh Land Revenue code, 1959 and in directing the CMO, Khargone for registration of F.I.R. against the appelland under section 339(g)(ii) of the Nagar Palika Adhiniyam, 1961.
- (3) The learned presiding officer of the appellate courts should have seen and should have considered the reply submitted by the applicant wherein he has specifically





stated that the alleged Panchnama dated on 16.08.2012 is false & fabricated and has requested the court for cross-examination of Patwari and witnesses of the Panchnama. However, court has not accepted the request written/oral made by the appellant and has fixed the case for argument. Secondly, the Sub Divisional Magistrate Khargone while adjudicating the case under the provision of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 acts as a Revenue court and duty bound to follow the procedure prescribed in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 and of general law for proving or disproving the case.

- (4) The learned presiding officers of the Courts below committed a grave error of law and fact both in holding that the land in question is being used for construction of colony by dividing it into small plots, construction of road, making provision of electricity and water on the strength of report prepared on 22.04.2013 and report of Patwari dated on 30.11.2013.
- (5) The learned presiding officers of Courts below should have seen and should have considered the fact that the alleged area is 87082 square feet only which is not sufficient for developing a colony. Secondly, the appellant have sold the property and they were not noticed in the proceedings. Thirdly, alleged Panchnama or the Report by the superintendent Land Record is not proved by the respondent by examine any witness or by marking it exhibit and making it to be a part of record.
- (6) The learned presiding officers of the Courts below committed a grave error of law and fact both in directing the CMO, Khargone to registrar FIR against the appellant for contravention of provisions of the colonizers' act and also of the Nagar Palika Adhiniyam, 1961.
- (7) The learned presiding officers of Courts below committed a grave error in imposing penalty of Rs. 10,60,800/- under section 59(2) of the MPLRC.
- (8) The learned presiding officers of Courts below committed a grave error in directing to appellant to deposit fine amount of Rupees 10,60,800/- with in period of 15 days and failure would result into attachment and would recoverable as land revenue.

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसके





आदेश को उचित मानकर अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखा गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अधीक्षक भू-अभिलेख के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा 172 के उल्लंघन में प्रश्नाधीन भूमि का बिना व्यपवर्तन कराये अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक पर रुपये 10,60,800/- शास्ति अधिरोपित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है और इसी आशय का निष्कर्ष अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा निकाला जाकर अपीलें निरस्त की गई हैं। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस सम्बन्ध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरुद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

“धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।”

उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त के प्रकाश में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.03.2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।




(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर